नेपाल : दुख दे क जवर्जस्ती लेलक बयान: भदौं २०७२ क कैलाली पुलिस हत्या पाछ आदिवासी थारु समुदायके मानव अधिकार हनन ।

सार-संक्षेप

> **“मध्यरातमा ढोका खोलेर प्रहरी मेरो घरभित्र आउँदा म निदाइरहेको थिएँ । उनीहरुले मेरो नाम सोधे र कुट्न थाले । मलाई उनीहरुको गाडीमा राखे । प्रहरीले आफ्नो गाडी एउटा प्रहरी चौकीमा रोके र त्यहाँ मलाई कुटपिट गरे । त्यसपछि अर्को प्रहरी चौकी पुगेपछि उनीहरुले गाडी रोके । त्यहाँ मलाईं लाठीले, बन्दुकको कुन्दाले र उनीहरुले जे भेटे त्यसैले कुटे ।”[1]**
>
> **तुलसीराम (काल्पनिक नाम)**

> **“प्रहरी महिन जबर्जस्ती साबिती बयानमा हस्ताक्षर करेक लगैनै वो कागजमे लिखल बात पढेक कहल पर मलाई कुटपिट करनै ।” [2]**
>
> **भागीराम (काल्पनिक नाम)**

यी संक्षेपीकरणमे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल देशके दक्षिणी तराईमे अवस्थित नेपालके सुदूर-पश्चिम तराईक कैलाली जिल्लामे रहल आदिवासी थारु समुदायक सदस्य हुकरन टिकापुर, धनगढीमे ७ भदौ २०७२ मे आठ जने सुरक्षाकर्मी हुकरनके हत्याके सम्बन्धमे प्रहरी कौसिक स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, यातना ओ दुर्व्यवहार करल वो जबर्जस्ती साविति बयानमे सहीछाप कराइल विषयमे लेखवद्ध करल बा ।

धनगढी जेलमे रहल थुनुवा हुकरनसे करल अन्तर्वार्ताक समयमे धनगढी जेलमे रहल थुनुवाहुकरनपर ज्यानमारा, ज्यानमारा उद्योग ओ चोरी-डकैटी मुद्दाके कारवाई प्रकृयामे रहैं । अन्तर्वार्ता से पत्ता लागल की पुलिस हिरासतमे रहल समयमे ओइनपर लाठी से कुटपिट करल, बन्दुकके कुन्डासे पिटल ओ झापड मारल तथा गाली गलौज करगइल रहे । गिरफ्तार करना समय, पुलिस पोस्टमे सरुवा करल समय ओ प्रहरी चौकी ओ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमे रहल समयमे यातना देले रहैं ।

[1] तुलसीराम (काल्पनिक नाम), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्वार्ता, धनगढी कारागार, २९ फागुन २०७२
[2] भागीराम (काल्पनिक नाम), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्वार्ता, धनगढी कारागार, २९ फागुन २०७२

थुनुवा हुकरे कहा वो कै कैसिक पक्राउ परल विषय ओ एक ठाउँ से दोसर ठाउँमे सरुवा करल विषय तथा ओइन कैसिनके यातना देहनै कना विषयमै व्यक्तिपिच्छे अलग-अलग बात रहे । लेकिन, गिरफ्तारीके लगत्तै वादमे गाडीमे राखके यताना देहल विषयमे ओ प्रहरी कार्यालय खसकरके जिल्ला प्रहरी कार्यालय मे पिटाइ खाइल विषयमे बात एकनास रहें ।

थुनुवा हुकरे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल हे वतौनी की औइन गिरफ्तारीके कारणके विषयमे कोइ जानकारी नाई मिलल, गिरफ्तार हुइलके समयमे वकिल हुकरनसे सल्लाह लेहे नाई पैनै ओ ओइनके विरुद्धमे कारवाइके विषयमे कोइ जानकारी नाई दैनौं । ओइनसे साविति वयान लेहेकलग प्रहरी हुकर कैसिक यातना देहनै कना ओइनके बात उजागर करथ । ऐसिक यातना पाइल मध्येके एक रहे १४ बर्षके लवण्डा ।

यी खास अवस्था दण्डहीनताके वातावरणके विषयमे वोलथ जेमनेकी यातना देनेवाला खास करके प्रहरी हुकरन ओइनके कामके विषयमा जवाफदेही नाइ वनै थै जेमेनेसे यातनाके घटनामे नेपाल अपन अन्तर्राष्ट्रिय ओ राष्ट्रिय दायित्वमे असफल देखपरथ । यी कर्तव्य अन्तर्गत यातनाके उजुरीमे प्रभावकारी छानविन, दोषी हुकरन न्यायके कठघरामे नन्ना ओ पीडित हुकरन परिपूरण देहना परथ ।

यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार ओ सजायके महासन्धि अनुसारके दायित्व बमोजिम यतना हे नेपाल राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत अपराध घोषणा करना कानुन बनाइपरल जिहिनसे अपराधके गम्भीरता अनुसार सजायक व्यवस्था हुई ।

कार्यपद्धति

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०७२ फागुन मे टिकापुर एवं वरिपरिक गाउँ तथा जिल्ला सदरमुकाम घनगढीमे अन्तर्वार्ता करल । संगठन फागुन मे जेलमे रहल १९ कैदी ओ २०७३ वैशाखमे कास्की जिल्लामे रहल बाल सुधारगृहमे रहल एक बालक से वातचित करल रहे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल धनगढीमे रहल दुई मानवअधिकारकर्मी, वकिल ओ साक्षी हुकरनसे फिन अन्तर्वार्ता करल जेकर पास थुनुवाक उपचार सम्बन्धी पहिल सूचना रहे ओ एक अभियुक्तके परिवारके सदस्यसे फिन अन्तर्वार्ता करल ।

थुनुवा हुकरन घनगढी जेलमे दुई भागमे राखल रहे जौन एक पक्की भित्तासे छुट्याइल वा, आठ जाने एक भागमे और एघार जाने दोसर भागमे राखल रहैं । दोनो भागमे रहल थुनुवा हुकरन जेलके गार्ड भेटघाटके लिए आगेक भागमे जम्मा कराइल रहैं । प्रत्येक थुनुवाहे एकएक करके आगे आइक कहल रहैं ओ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके सोधकर्ता हुकरनसे बातचित करेक कहगैल रहैं । प्रत्येक जाने अपन गिरफ्तारी कैसिक हुइल ओ धनगढी जेल मे चलान हुइल से पहले हिरासतमे हुइल व्यवहारके विषयमे बयान करेक कहगैल रहैं । जेलके दुई भागमे राखल व्यक्ति हुकरनके अन्तर्वार्तासे एम्नस्टी इन्टरनेसनल हे दुई समूहके अन्तर्वार्ता तुलना करना ओ बयान समूह भितर ओ बाहर जाँच करना अवसर मिलल ।

सब थुनुवा हुकरे अपन बयान प्रकाशित करना अनुमति देहनैं । तथापि, अन्तर्वार्ता करल व्यक्ति हुकरनके सुरक्षाक लग रिपोर्टमे बहुत जनहनके छद्मनाम राखगैल वा । दुई थुनुवा हुकरे अपन नाम प्रयोग करना अनुमति देहनै ।

१४ बर्षके बालक हे कास्की जिल्लामे रहल बाल सुधार गृह मे गोप्य रुपसे बातचित करगैल वा । बालकके कम उमेर हुइल कारणसे ओ ओकर सुरक्षा ओ संरक्षणके लग, ओकर नाम यी रिपोर्टमे छद्मनाम प्रयोग कर गइल वा ।

२६ से २९ फागुन २०७२ तक एम्नेस्टी इन्टरनेसनल टिकापुर ओ वरपरके गाउँ ओ जिल्ला सदरमुकामके बासिन्दा, मानवअधिकारकर्मी, शिक्षक, वकिल, व्यापारी, पत्रकारलगायत ३० जनहनसे वातचित करल । अन्तर्वार्ता मध्येके रहै ४ सरकारी अधिकारी : सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला अदालत रजिस्ट्रार, इलाका प्रशासन प्रमुख ओ धनगढी कारागार वार्डेन । यी बाहेक एम्नेस्टी

इन्टरनेसनल अभियोगपत्र, अन्तरिम आदेश, डोटी पुनरावेदन अदालतमे पेश करल निवेदनलगायतके कानुनी लिखत फिन हेरल ।

आजतक, ५८ व्यक्तिउपर मुद्दा परल वा । यी मध्येके २५ जने पक्राउ परल वातैं । दुई अभियुक्त वालक होई । कैलाली जिल्ला अदालतमे मुद्दाके कारवाई चलता । यी लिखत समयतक, थुनछेक विरुद्धके निवेदन सर्वोच्च अदालतमे वा ।